रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 19, 1976/ज्येष्ठ 29, 1898

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 19, 1976/JYAISTHA 29, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मन्त्रालय

नई दिल्ली, 15 मई, 1976

का० नि० आ० 150.— केन्द्रीय सरकार, रक्षा सन्कर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित (महाराष्ट्र राज्य के) मुम्बई जिले में स्थित भूमि, जो संकेत प्रेषण केन्द्र, जुहू, मुम्बई के समीप है, के उपयोग तथा उपभोग पर, उक्त अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन लगाना आवश्यक है, जिससे कि ऐसी भूमि भवनों और अन्य बाधाओं से मुक्त रखी जा सके।

परन्तु उक्त निर्बन्धन 15.24 मीटर की अनुज्ञेय ऊंचाई से ऊपर के ऐसे स्थायी सन्निर्माण को लागू नहीं होंगे जो इस अधिसूचना के प्रारम्भ से पहले ही पूर्ण किए जा चुके है:

परन्तु यह भी कि उक्त भूमि के भीतर उक्त संकेत प्रेषक केन्द्र के चतुर्दिक बनी झुग्गियां गिरा दी जाएंगी।

2 उक्त भूमि के रेखांकित खाके का निरीक्षण उपमण्डल अधिकारी, भवन और मार्ग, सान्ता क्रुज, मुम्बई जिला के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में, संकेत प्रेषण केन्द्र, जुहू के बाह्य मुंडेर के शिखर से 457.20 मीटर (500 गज) की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[सं० फा० 17(3)/74/डी०(जी०एस०-1)]

हरमन्दर सिंह, संयुक्त सचिव (जी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th May, 1976

S.R.O. 150.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (VII of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose the restrictions specified in clause (c) of section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land situated in the District of Bombay (in the Maharashtra State) described in the Schedule hereto annexed, being land in the vicinity of the Signal Transmitting Station at Juhu, Bombay, in order that such land may be kept free from buildings and other obstructions :

Provided that the said restrictions shall not apply to such permanent constructions beyond the permissible height of 15.24 metres which have already been completed at the commencement of this notification :

Provided further that the Jhuggis around the said Transmitting Station within the said land shall be demolished.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the Sub-Divisional Officer, Buildings and Roads, Santa Cruz, Bombay District.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within a distance of 457.20 metres (500 yards) from the crest of the outer parapet of the Signal Transmitting Station, Juhu, Bombay, in the State of Maharashtra.

[No. F. 17(3)/74/D(GS.I)]

HARMANDER SINGH, Joint Secy. (G)

34 GI/76—1

नई दिल्ली, 4 जून, 1976

का० नि० आ० 151.— छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड सागर की सदस्यता में मेजर धर्मबीर सिंह के त्यागपत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल सं० 19/6/सी०/एल०एण्ड०सी०/65/1504-सी०/डी० (क्यू० एण्ड०सी०)]

का० नि० आ० 152.— छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर मनजीत सिंह को आफिसर कमाडींग स्टेशन द्वारा मेजर धर्मबीर सिंह के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड सागर के एक सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल सं० 19/6/सी०/एल०एण्ड०सी०/65/1504-सी०/डी० (क्यू० एण्ड०सी०)]

एन० वी० स्वामीनाथन, अवर सचिव

New Delhi, the 4th June, 1976

S.R.O. 151.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Saugor by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Maj Dharambir Singh.

[File No. 19/6/C/L&C/65/1504-C/D(Q&C)]

S.R.O. 152.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Maj Manjeet Singh has been nominated by the Officer Commanding the Station as a member of Cantonment Board Saugor vice Maj Dharam Bir Singh who has resigned.

[File No. 19/6/C/L&C/65/1504-C/D(Q&C)]

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 जून, 1976

का० नि० आ० 153.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राडार और संचार परियोजना कार्यालय रक्षा मंत्रालय में उप-परियोजना इंजीनियर (संचार अधिष्ठापन यंत्रीकरण 'क' और 'ख') के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का नाम राडार और संचार परियोजना कार्यालय, उप-परियोजना इंजीनियर (संचार अधिष्ठापन यंत्रीकरण 'क' और 'ख' भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताए और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहा वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमो के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप-परियोजना अधिकारी (सचार अधिष्ठापन यंत्रीकरण 'क' और 'ख')	1	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'क' राजपत्रित	1100-50-1600रु०	लागू नही होता	35 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवको के लिए शिथिलनीय) टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से, (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सघ राज्य क्षेत्रों में हैं) आवेदनों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रोनिक्स या दूर सचार इजीनियरी या विद्युत इजीनियरी में उपाधि या भौतिकी में मास्टर की उपाधि जिसमे इलैक्ट्रानिक्स एक विशेष विलय के रूप मे रहा हो या समतुल्य । (ii) सूक्ष्म तरंग या एल ओ एस या ट्रोपो संचार प्रणाली के आधुनिकतम परीक्षण उपस्कर और परीक्षण प्रक्रियाओ का पांच वर्ष का अनुभव । (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ; विशेषकर अनुभव संबंधी अर्हता, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नती की दशा मे लागू होगी या नही	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा/कि जाएगी किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
लागू नही होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिस के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: स्क्वाड्रन लीडर ए ई (एल) की पंक्ति के रक्षा सेवा अधिकारी या समतुल्य, जो, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए *अधि*कथित अर्हताएं रखते हों, जिसके न हो सकने पर, केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या 700-1300रु० वेतनमान के पदों पर पर कम से कम 5 वर्ष निरन्तर सेवा वाले या समतुल्य अधिकारी या 650-1200 रु० वेतनमान के पदों पर कम से कम 8 वर्ष निरंतर सेवा करने वाले या समतुल्य अधिकारी । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यता 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नही होता -	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के द्वारा यथा-अपेक्षित

[फा० सं० पी० सी० 1 ए/12864/सी० ए० ओ०/आर० एण्ड आर० II]

अ० वे० कृष्णमूर्ति, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 1976

S.R.O. 153.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Deputy Project Engineer (Communications Installation-Instrumentation 'A' and 'B') in the Radar and Communications Project Office, Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Radar and Communications Project Office, Deputy Project Engineer (Communications Installation-Instrumentation 'A' and 'B') Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of the posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection posts	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Project Engineer (Communications Installations Instrumentation 'A' and 'B')	one	Civilian in Defence Service Group 'A' Gazetted.	1100-50-1600	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	Essential : (i) Degree in Electronics or Telecommunications Engineering or Electrical Engineering or Masters degree in Physics with Electronics as a special subject from a recognised Univeristy or equivalent. (ii) Five years' experience in the latest test equipment and test procedures for Microwave or LOS or Tropo communication systems. (Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified ; in particular the qualifications regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation : Defence Services officers of the rank of Squadron Leader AE (L) or equivalent possessing the qualifications laid down for direct recruits in column 7, failing which officers under the Central Government holding analogous posts or with at least 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent or with at least 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.)	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation), Regulations, 1958.

[File No. PC1A/12864/CAO/R&R-II]
A.V. KRISHNAMURTI, C.A.O.

नई दिल्ली, 5 जून, 1976

का० नि० आ० 154.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना वर्ग 3 (अनौद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम नौसेना वर्ग 3 (अनौद्योगिक पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नौसेना वर्ग 3 (अनौद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1972 की अनुसूची में, क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
7.	परिवहन फोरमैन	रक्षा सेवाओं में के सिविलियन, समूह 'ग' अराजपत्रित/अलिपिकवर्गीय/अनौद्योगिक।	550-20-650-25-750 रु०	चयन	40 वर्ष	1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। 2. ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव और भारी यानों के लिए चालन अनुज्ञप्ति हो। 3. यदि उपर्युक्त मद 2 वाली अर्हताओं वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पास किसी संगठित ऑटोमोबाइल कर्मशाला में 8 वर्ष का अनुभव हो और भारी यानों के लिए चालन अनुज्ञप्ति हो, के नामों पर, नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति . प्रधान मोटर परिवहन प्रशीक्षक, जिन्होंने उस श्रेणी मे 5 वर्ष सेवा की हो, जिसके न होने पर ऐसे मोटर परिवहन प्रशीक्षक, जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की हो। प्रोन्नति के के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र बनने के लिए विभागीय अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप समतुल्य, या उच्चतर श्रेणियों में कार्य करने वाले व्यक्ति।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिस मे निम्नलिखित होंगे : अध्यक्ष . कमाण्डर या समतुल्य या और उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी । सदस्य : लेफ्टीनेंट कमाण्डर/लेफ्टीनेंट या समतुल्य पंक्ति के 2 अधिकारी । (एक विभागीय और एक स्वतन्त्र)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
98.	प्रधान मोटर परिवहन प्रशीक्षक	रक्षा सेवाओं में के सिविलियन, अराजपत्रित/अलिपिकवर्गीय अनौद्योगिक	380-12-500-द० रो०-15-560 रु०	चयन	35 वर्ष	1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 2. उस लाइन का 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । 3. भारी यानों के लिए चालन अनुज्ञप्ति अवश्य होनी चाहिए ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा, और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसे मोटर परिवहन प्रशीक्षक, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो। प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र बनने के लिए विभागीय अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में कार्य करने वाले व्यक्ति।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— अध्यक्ष · कमाण्डर या समतुल्य याउससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी । सदस्य: लेफ्टीनेंट कमाण्डर/लेफ्टीनेंट या समतुल्य पंक्ति के 2 अधिकारी । (एक विभागीय और एक स्वतंत्र)	लागू नहीं होता

1 2	3	4	5	6	7
99. मोटर परिवहन पर्यवेक्षक।	रक्षा सेवाओं में के सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित/ अलिपिकवर्गीय अनौद्योगिक।	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	चयन	30 वर्ष	1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। 2. विभिन्न प्रकार के यानों का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
100. रूसी भाषा टंकक	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित/अनौद्योगिक/लिपिक वर्गीय	330-10-380-द० रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष	आवश्यक : 1. हायर सेकेण्डरी या समतुल्य अर्हता। 2 रूसी भाषा में उच्च कोटि की की प्रवीणता। 3 अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और रूसी में 20 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करने में समर्थ हो। वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रूसी भाषा में उच्च डिप्लोमा।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : मोटर परिवहन चालक श्रेणी I जिसकी उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो। प्रोन्नति के लिए पात्र बनने के लिए विभागीय अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण हो। स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में कार्य करने वाले व्यक्ति।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— अध्यक्ष : कमाण्डर या समतुल्य या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी। सदस्य : लेफ्टीनेंट कमाण्डर/ लेफ्टीनेंट या समतुल्य पंक्ति के 2 अधिकारी। (एक विभागीय और एक स्वतन्त्र)।	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानान्तरण : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में कार्य कर रहे हों।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फाइल सं० सी पी (ए)/2837]

[फाइल सं० सी पी (ए)/2891]

New Delhi, the 5th June, 1976

S.R.O. 154.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Navy Class III (Non-Industrial Posts) Recruitment Rules, 1972, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Navy Class III (Non-Industrial Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Navy Class III (Non-Industrial Posts) Recruitment Rules, 1972, after serial No. 96 and the enrtries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
97. Foreman of Transport.		Civilians in Defence Services Group 'C' Non-Gazetted/Non-Ministrial/ Non-Industrial.	Rs.550-20-650-25-750.	Selection	40 years.	1. Matriculation or equivalent. 2. Diploma in Automobile Engineering with 5 years practical experience and possessing a Driving licence for heavy vehicles. 3. If candidates with the qualifications at item 2 above are not available, candidates with 8 years experience in an organised automobile workshop and possessing a driving licence for heavy vehicles may be considered for appointment.
98. Head Motor Transport Supervisor.		Civilians in Defence Services Group 'C' Non-Gazetted/ Non-Ministerial/ Non-Industrial.	Rs.380-12-500-EB-15-560.	Selection	35 years.	1. Matriculation or equivalent. 2. 3 year's, practical experience in the line. 3. Must possess driving licence for heavy vehicles.
99. Motor Transport Supervisor		Civilians in Defence Services Group 'C' Non-Gazetted/ Non-Ministerial/ Non-Industrial.	Rs.330-8-370-10-400-EB-10-480.	Selection	30 years.	1. Matriculation or equivalent. 2. Minimum 5 years experience in different types of vehicles.

8	9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion, failing that by transfer, and failing both by direct recruitment.	Promotion: Head Motor Transport Supervisor with 5 years service in the grade, failing that Motor Transport Supervisor with 8 years service in the grade. Must pass in a departmental qualifying test to become eligible for considerations for promotion. Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services.	Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of :— Chairman : Officer of the rank of Commander or equivalent and above. Members : 2 Officers of the rank of LCDR/Lt. or equivalent (one departmental and one independent.)	Not applicable.
No	Two years	By promotion, failing that by transfer, and failing both by direct recruitment.	Promotion : Motor Transport Supervisor with 3 years service in the grade. Must pass in a qualifying departmental test to become eligible for consideration for promotion. Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— Chairman: Officer of the rank of Commander or equivalent or above. Members: 2 Officers of the rank of LCDR/Lt. or equivalent (one departmental and one independent).	Not applicable.
No	Two years	By promotion failing that by transfer and failing both by direct recruitment.	Promotion: Motor Transport Driver Grade I with 3 years service in the grade. Must pass in a qualifying departmental test to become eligible for consideration for promotion. Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— Chairman: Officer of the rank of Commander or equivalent and above. Members: 2 Officers of the rank of LCDR/Lt. or equivalent (one departmental and one independent.)	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
100. Russian Language Typist		Civilains in Defence Services Group 'C' Non-Gazetted/ Non-Ministerial Industrial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not applicable	30 years.	Essential : 1. Higher Secondary or equivalent qualification. 2. High proficiency in Russian Language. 3. Should be able to type at a speed of 30 words per minute in English and 20 words per minute in Russian. Desirable : Advance Diploma in Russian Language from a recognised University or Institution.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years.	By transfer, failing that by direct recruitment.	Transfer Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services, and possessing qualifications laid down under column 7.	Not applicable	Not applicable.

[File No. CP(A)/2837]
[File No. CP(A)/2891]

का०नि०आ० 155—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना (वर्ग 3 और वर्ग 4) औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमो का नाम नौसेना (वर्ग 3 और 4 औद्योगिक पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 नौसेना (वर्ग 3 और 4 औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में, क्रम संख्या 37 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
38.	मास्टर दस्तकार मैकेनिक	रक्षा सेवाओं में के सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित/ अलिपिकवर्गीय/ औद्योगिक/	380-12-500-द० रो०-15-560 रु०	चयन	40 वर्ष	(क) 1 मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 2. आटोमोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा और संबंधित व्यवसाय का दो वर्ष का अनुभव या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उस व्यवसाय में कम से कम 18 मास की शिक्षता पूर्ण की हो और जो उस व्यवसाय का 3 वर्ष का अनुभव रखते हो । या (ख) भूतपूर्व सैनिको की दशा में ऐसे हवलदार/यान मैकेनिक/इंजीनियरी उपस्कर मैकेनिक जिनके पास सेना, नौसेना या वायसेना की समचित तकनीकी शाखा का 4 वर्ष का अनुभव हो ।

8	9	10	11	12	13
नही	छ मास	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर स्थानातरण द्वारा और दोनो के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे मोटर परिवहन यांत्रिक श्रेणी 1, जिन्होंने उस श्रेणी मे 3 वर्ष सेवा की हों और जो प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र बनने के लिए अर्हक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हों। स्थानातरण : रक्षा सेवा में की निरन्तर विरचनाओ मे समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियो मे कार्य करने वाले व्यक्ति।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे — अध्यक्ष . कमाण्डर या उसके समतुल्य या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी। सदस्य . लेफ्टीनेंट कमाण्डर/लेफ्टीनेंट या उसके समतुल्य पंक्ति के 2 अधिकारी (एक विभागीय एक स्वतन्त्र ।	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
39	मोटर परिवहन मैकेनिक श्रेणी 1	रक्षा सेवाओं में के सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित/अलिपिकवर्गीय/औद्योगिक	330-8-370-10-400-द०रो-10-480 रु०	चयन	35 वर्ष	(क) 1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 2. ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा साथ मे एक वर्ष का अनुभव या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-प्रशिक्षित अभ्यर्थी जिनके पास उस व्यवसाय का 2 वर्ष का अनुभव हो । या (ख) भूतपूर्व सैनिकों की दशा में : ऐसे नायक यान मैकेनिक/इंजीनियरी उपस्कर मैकेनिक या समतुल्य जिनके पास सेना, नौसेना या वायु सेना की समुचित तकनीकी शाखा का 3 वर्ष का अनुभव हो ।
40	मोटर परिवहन यांत्रिक श्रेणी 2	रक्षा सेवाओं मे के सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित/अलिपिकवर्गीय/औद्योगिक	320-6-326-8-390-10-400 रु०	चयन	35 वर्ष	(क) 1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 2. ऑटोमोबाइल इंजीनियरी मे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की अर्हता और उस व्यवसाय का एक वर्ष का अनुभव । या (ख) भूतपूर्व सैनिकों की दशा में : ऐसे नायक यान मैकेनिक/इंजीनियरी उपस्कर मैकेनिक या समतुल्य जिनके पास सेना, नौसेना या वायु सेना की समुचित तकनीकी शाखा का 2 वर्ष का अनुभव हो ।
41.	मास्टर दस्तकार (वैद्युत)	रक्षा सेवाओं मे के सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित/अलिपिकवर्गीय/औद्योगिक	380-12-500-द० रो०-15-560 रु०	चयन	40 वर्ष	(क) 1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 2. ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा, और संबन्धित व्यवसाय का दो वर्ष का अनुभव या ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्हता और उस व्यवसाय का 3 वर्ष का अनुभव । या (ख) भूतपूर्व सैनिकों की दशा में : ऐसा हवलदार/बिजली मिस्त्री या समतुल्य, जिसके पास सेना, नौसेना या वायु सेना की समुचित तकनीकी शाखा का 4 वर्ष का अनुभव हो ।
42.	वैद्युत यांत्रिक 'क'	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित/अलिपिकवर्गीय/औद्योगिक	380-12-500-द०रो०-15-560 रु०	चयन	40 वर्ष	(क) 1 मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 2. ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा और संबन्धित व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव या ऑटोमोबाइल इंजीनियरी मे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्हता और उस व्यवसाय का 3 वर्ष का अनुभव । या (ख) भूतपूर्व सैनिकों की दशा में : ऐसे हवलदार/बिजली मिस्त्री या समतुल्य जिनके पास सेना, नौसेना या वायु सेना की समुचित तकनीकी शाखा का 4 वर्ष का अनुभव हो ।

8	9	10	11	12	13
नही	छह मास	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा, और दोनो के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे मोटर परिवहन मैकेनिक श्रेणी 2, जिनकी उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो, जिसके न होने पर ऐसे मोटर परिवहन फिटर श्रेणी 1, जिनकी उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा हो और जो प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र बनने के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हो। स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओ की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियो मे कार्य करने वाले व्यक्ति।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे:— अध्यक्ष: कमाण्डर या समतुल्य या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी। सदस्य : लेफ्टीनेंट कमांडर/लेफ्टीनेंट या समतुल्य पंक्ति के दो सदस्य (एक विभागीय और एक स्वतंत्र)	लागू नहीं होता
नहीं	छः मास	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे मोटर परिवहन फिटर श्रेणी 1, जिनकी उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो और जो प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र बनने के लिए अर्हक विभागीय परीक्षा उत्तीण हो। स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओ में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में कार्य करने वाले व्यक्ति।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:— अध्यक्ष : कमाण्डर या समतुल्य या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी। सदस्य : लेफ्टीनेन्ट कमाण्डर/लेफ्टीनेन्ट या समतुल्य पंक्ति के 2 अधिकारी (एक विभागीय और एक स्वतंत्र)।	लागू नही होता
नही	छः मास	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनो के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा बिजली फिटर श्रेणी 1, जिसकी इस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो और जो प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र बनने के लिए अर्हक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हो। स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओ में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियो में काम करने वाले व्यक्ति।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:— अध्यक्ष : कमाण्डर या समतुल्य या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी। सदस्य : लेफ्टीनेंट कमाण्डर/लेफ्टीनेट या उससे ऊपर की पंक्ति के 2 अधिकारी (एक विभागीय और एक स्वतंत्र)	लागू नही होता
नही	छः मास	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनो के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा बिजली फिटर श्रेणी 1 जिसकी उस श्रेणी मे 3 वर्ष की सेवा हो और जो प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र बनने के लिए अर्हक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हो। स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओ में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों मे काम करने वाले व्यक्ति।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमे निम्नलिखित होंगे:— अध्यक्ष : कमाण्डर या समतुल्य या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी। सदस्य : लेफ्टीनेंट कमाण्डर/लेफ्टीनेंट या समतुल्य पंक्ति के दो अधिकारी (एक विभागीय और एक स्वतंत्र)	लागू नही होता

[फाइल नं० 2837]

S.R.O. 155.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Navy (Class III and IV Industrial Posts) Recruitment Rules, 1971, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Navy Class III and IV Industrial Posts Recruitment (Second Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Navy (Class III and IV Industrial Posts) Recruitment Rules, 1971, after Serial No. 37 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
38.	Master Tradesman Mechanic	Civilians in Defence Services Group 'C' Non-gazetted/ Non-Ministerial/ Industrial.	Rs.380-12-500-EB-15-560.	Selection	40 years.	(A)1. Matriculation or equivalent 2. Diploma in Automobile Engineering with 2 years experience in the trade. OR Candidates who have completed apprenticeship of at least 18 months in the trade and possess 3 years experience in the trade. OR (B) In the case of Ex-Servicemen Havilder/Vehicle Mechanic/Engineering Equipment Mechanic or equivalent with 4 years experience in the appropriate technical branch of the Army, Navy or Air Force.
39.	Motor Transport Mechanic Grade I.	Civilians in Defence Services Group 'C' Non-gazetted/ Non-ministerial/ Industrial.	Rs.330-8-370-10-400-EB-10-480.	Selection	35 years.	(A1). Matriculation or equivalent. 2.Diploma in Automobile Engineering with 1 year's experience or Industrial Training Institute trained candidates with 2 years experience in the trade. OR (B) In the case of Ex-Servicemen Naik/Vehicle/Mechanic/Engineering Equipment Mechanic or equivalent with 3 years experience in the appropriate technical branch of the Army, Navy or Air Force.

8	9	10	11	12	13
No	Six months.	By promotion failing that by transfer and failing both by direct recruitment.	Promotion: Motor Transport Mechanic Grade I with 3 years service in the grade and who have passed in a qualifying departmental test to become eligible for consideration for promotion. Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services.	Group "C" Departmental Promotion Committee consisting of :— Chairman Officer of the rank of Commander or equivalent and above. Members 2 Officers of rank of LCDR/Lt. or equivalent (one departmental and one independent).	Not applicable
No	Six months.	By promotion failing that by transfer, and failing both by direct recruitment.	Promotion: Motor Transport Mechanic Grade II with 3 years service in the grade failing that Motor Transport Fitter Grade I with 6 years service in the grade and who pass in a qualifying departmental test to become eligible for consideration for promotion. Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— Chairman Officer of Commander or equivalent and above. Members 2 Officers of the rank of LCDR/Lt. or equivalent (one departmental and one independent).	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
40.	Motor Transport Mechanic Grade II.	Civilians in Defence Services Group 'C' Non-gazetted/ Non-ministerial/ Industrial.	Rs.320-6-326-8-390-10-400.	Non-Selection.	35 years.	(A) 1. Matriculation or equivalent 2. Industrial Training Institute in Automobile Engineering with one year's experience in the trade. OR (B) In the case of Ex-Servicemen Naik Vehicle Mechanic/Engineering Equipment Mechanic or equivalent with 2 years experience in the appropriate technical branch of the Army, Navy or Air Force.
41.	Master Tradesman (Electrical)	Civilians in Defence Services Group 'C' Non-gazetted/ Non-ministerial/ Industrial.	Rs.380-12-500-EB-15-560.	Selection	40 years.	(1) 1. Matriculation or equivalent. 2. Diploma in Automobile Engineering with 2 years experience in the trade or Industrial Training Institute qualification in Automobile Engineering with 3 years experience in the trade. OR (B) In the case of Ex-Servicemen Havildar Electrician or equivalent with 4 years experience in the appropriate technical branch of the Army, Navy or Air Force.

8	9	10	11	12	13
No	Six months.	By promotion failing that by transfer and failing both by direct recruitment.	Promotion: Motor Transport Fitter Grade I with 3 years service in the grade and who pass in a qualifying departmental test to become eligible for consideration for promotion. Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— Chairman Officer of the rank of Commander or equivalent and above. Members 2 Officers of the rank of LCDR/Lt. or equivalent (one departmental and one independent).	Not applicable.
No	Six months.	By promotion failing that by transfer and failing both by direct recruitment.	Promotion: Electric Fitter Grade I with 3 years service in the grade and who have passed in a qualifying departmental test to become eligible for consideration for promotion. Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— Chairman Officer of the rank of Commander or equivalent and above. Members 2 Officers of the rank of LCDR/Lt. or equivalent (one departmental and one independent).	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
42.	Electric Mechanic 'A'.	Civilians in Defence Services Group 'C' Non-Gazetted/ Non-Ministerial/ Industrial.	Rs.380-12-500-EB-15-560.	Selection.	40 years.	(A) 1. Matriculation or equivalent. 2. Diploma in Automobile Engineering with 2 years experience in the trade or Industrial Training Institute qualification in Automobile Engineering with 3 years experience in the trade. OR (B) In the case of Ex-Servicemen: Havildar Electrician or equivalent with 4 years experience in the appropriate technical branch of the Army, Navy or Air Force.

8	9	10	11	12	13
No	Six months.	By promotion failing that by transfer and failing both by direct recruitment.	Promotion : Electric Fitter Grade I with 3 years service in the grade and who have passed in a qualifying departmental test to become eligible for consideration for promotion. Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:— Chairman Officer of the rank of Commander or equivalent and above. Members 2 Officers of the rank of LCDR/Lt. or equivalent (one departmental and one independent).	Not applicable.

[File No. CP(A)/2837]

नई दिल्ली, 7 जून, 1976

का० नि० आ० 156.—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 की उपधारा (2) के खण्ड (गग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सैनिक भूमि और छावनी सेवा (वर्ग 1 और 2) नियम, 1951 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा की उपधारा 1 में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा।

पूर्वोक्त अवधि से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का नाम सैनिक भूमि और छावनी सेवा (वर्ग 1 और 2) द्वितीय संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सैनिक भूमि छावनी सेवा (वर्ग 1 और 2) नियम, 1951 में, नियम 5 के उपनियम (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) सेवा के वर्ग 1 काडर में भर्ती भागत सीधी भर्ती द्वारा और भागत प्रोन्नति द्वारा की जाएगी। वर्ग 1 की निम्नतम श्रेणी में होने वाली पचहत्तर प्रतिशत रिक्तियां परीक्षा के परिणाम पर भरी जाएंगी और शेष सेवा के वर्ग 2 काडर से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी। सभी उच्चतर श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियां प्रोन्नति द्वारा की जाएगी।

(ख) सेवा के वर्ग 2 काडर के, सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी (तकनीकी) के पदों से भिन्न पदों पर नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात् :—

1. वर्ग 2 कर्मचारिवृन्द में 20 प्रतिशत तक रिक्तियां सैनिक भूमि और छावनी सेवा के सेवा कर रहे ऐसे वर्ग 3 कर्मचारिवृन्द में से, जो उपनियम (ग) और (ङ) में विनिर्दिष्ट सेवा किए हों और शैक्षिक अर्हताएं रखते हों, प्रोन्नति द्वारा;

2. 20 प्रतिशत तक रिक्तियां छावनी बोर्डों में सेवा कर रहे ऐसे कर्मचारियों में से जो उपनियम (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट सेवा किए हों और शैक्षिक अर्हताएं रखते हों, चयन द्वारा की गई सीधी भर्ती द्वारा;

3. शेष रिक्तियां उन अभ्यर्थियों में से जो परीक्षा में अर्हित हों और आयोग ने जिनकी सिफारिश की हो किन्तु जो किसी भी केन्द्रीय सेवा में वर्ग 1 नियुक्ति प्राप्त करने में असफल रहे हों।"।

[फा० सं० 10 3/33/ए०डी०एम०/एल०एण्ड सी०]

New Delhi, the 7th June, 1976

S.R.O. 156.—The following draft of certain rules further to amend the Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II) Rules, 1951, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (cc) of sub-section (2), of section 280 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the period aforesaid will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II) Second Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II) Rules, 1951, for sub-rules (a) and (b) of rule 5, the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(a) Recruitment to the Class I cadre of the Service shall be made partly by direct recruitment and partly by promotion. Seventy five per cent of the vacancies arising in the lowest grade of Class I shall be filled on the results of the examination and the remaining shall be filled by promotion from the Class II cadre of the Service. Appointments to posts in all higher grades shall be made by promotion.

(b) Appointment to Class II cadre of the Service other than to the posts of Assistant Military Estates Officers (Technical) shall be made in the following manner, namely :—

(1) Upto 20 per cent of the vacancies in Class II, by promotion from among the serving class III staff of the Military Lands and Cantonments Service having service and educational qualifications specified in sub-rule (c) and (e) ;

(2) Upto 20 per cent of vacancies by direct recruitment made by a selection from among serving employees of Cantonment Boards having service and educational qualifications specified in sub-rules (d) and (e);

(3) The remaining vacancies from among the candidates who qualify at the examination and are recommended by the Commission but who fail to secure Class I appointment in any of the Central Services.".

[F. No. 103/33/ADM/L&C]

का० नि० ग्रा० 157.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौसेना (वर्ग 1 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम नौसेना (वर्ग 1 राजपत्रित पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 नौसेना (वर्ग 1 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में—

(क) नौसेना भण्डार अधिकारी, के पद से संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने,

(i) स्तम्भ 2 के अधीन, प्रविष्टि "38" रखी जाएगी;

(ii) स्तम्भ 3 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकवर्गीय", रखी जाएगी;

(iii) स्तम्भ 4 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "1100 50-1600 रु०" रखी जाएगी;

(iv) स्तम्भ 6 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "40 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)", रखी जाएगी;

(v) स्तम्भ 7 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्,—

"आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक या समुद्री या वैद्युत् या इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य।

(ii) सरकारी विभागों या पब्लिक उपक्रमों या किसी ख्यातिप्राप्त प्राइवेट फर्म में तकनीकी भण्डारों के सामग्री प्रबन्ध या मालसूची नियंत्रण का पर्यवेक्षी हैसियत में पांच वर्ष का अनुभव।

(अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय)"।

वांछनीय :

कारबार प्रशासन मे उपाधि।

(vi) स्तम्भ 8 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "नहीं", रखी जाएगी ;

(vii) स्तम्भ 10 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा" "रखी जाएगी";

(viii) स्तम्भ 11 के अधीन प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"प्रोन्नति .

सहायक नौसेना भण्डार अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 7 वर्ष की सेवा की हो";

(ix) स्तम्भ 12 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"अध्यक्ष—अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग

सदस्य—संयुक्त सचिव (नौसेना) रक्षा मंत्रालय

—सहायक नौसेना कार्मिक प्रमुख या सिविलियन कार्मिक निदेशक, नौसेना मुख्यालय";

(ख) क्रम संख्या 10 के सामने नौसेना उप भण्डार अधिकारी का पद और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० सी॰पी० (डी०पी०सी०)/1465]

हो० आ. म० लि० बाजा, अवर सचिव

S.R.O. 157.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Navy (Class I Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Navy (Class I Gazetted Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Navy (Class I Gazette Posts) Recruitment Rules, 1969,—

(a) against serial number 9 relating to the post of Naval Store Officer—

(i) for the entry under column 2, the entry "38" shall be substituted ;

(ii) for the entry under column 3, the entries "Civilians in Defence Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial" shall be substituted ;

(iii) for the entry under column 4, the entries "Rs. 1100—50—1600" shall be substituted ;

(iv) for the entry under column 6, the entry "Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants)" shall be substituted ;

(v) for the entry under column 7, the following entries shall be substituted, namely :—

"Essenitial :

(i) Degree in Mechanical or Marine or Electrical or Electronics Engineering of a recognised University or equivalent.

(ii) Five years' experience in supervisory capacity in Material Management or Inventory Control of technical stores in Government Departments or Public undertakings or a Private firm of repute.

(Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).

Desirable :—

Degree in Business Administration.

(vi) for the entry under column 8, the entry "No" shall be substituted ;

(vii) for the entry under column 10, the entries "75 per cent by promotion failing which by direct recruitment and 25 per cent by direct recruitment" shall be substituted ;

(viii) for the entry under column 11, the following entry shall be substituted :

"Promotion :—

Assistant Naval Store Officers with 7 years' service rendered in the grade after appointment thereto on a regular basis" ;

(ix) for the entry under column 12, the following entries shall be substituted, namely :—

"Chairman—Chairman or Member Union Public Service Commission.

Members—Joint Secreary (Navy) Ministry of Defence

—Assistant Chief of Personnel or Director of Civilian Personnel Naval Headquarters" ;

(b) the post of Deputy Naval Store Officer against serial number 10 and the entries relating thereto shall be omitted.

[File No. CP(DPC)/1465]

HAML VAZ, Under Secy.

का० नि० आ० 158:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री एस० के० शुक्ला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड कानपुर की सदस्यता में एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल सं० 19/24/सी०/एल०एण्ड०सी०/65/1543-सी०/डी० (क्यू०एण्ड०सी०)]

S.R.O. 158.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Kanpur by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Shri A. K. Shukla Magistrate Ist Class.

[File No. 19/24/C/L&C/65/1543-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 159:—छावनी अधिनियम, (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण से केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री सिद्धारथ बेहुरा नगर मजिस्ट्रेट को, उस अधिनियम की धारा (3) (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट कानपुर द्वारा, श्री ए०के० शुक्ला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिन्होंने त्यागपत्र दिया है के स्थान पर छावनी बोर्ड कानपुर के सदस्य के रूप में नामनिर्दिशित किया गया है।

[फाइल स० 19/24/सी०/एल०एण्ड०सी०/65/डी० (क्यू०एण्ड० सी०)]

S.R.O. 159.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri Siddhartha Behura Magistrate City has been nominated as a member of the Cantonment Board, Kanpur by the District Magistrate, Kanpur in exercise of the powers conferred under section 13(3)(b) of that Act vice Shri A. K. Shukla Magistrate Ist Class resigned.

[File No. 19/24/C/L&C 65/1543/D(Q&C)]

नई दिल्ली, 8 जून, 1976

का० नि० आ० 160—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड मथुरा के निम्नलिखित व्यक्ति उनके सामने वार्डों से सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं :—

1. श्री किशोर कुमार महाजन—	वार्ड न० I
2. श्री शम्भु नाथ गुप्ता	वार्ड न० II
3 श्री बांके लाल गुप्ता	वार्ड न० III
4. श्री हरदेव सिंह	वार्ड न० IV

[फाइल नं० 29/55/सी०/एल०एण्ड०सी०/66-1544-सी०/डी० (क्यू एण्ड०सी०)]

एन०वी० स्वामीनाथन, अवर सचिव

New Delhi, the 8th June, 1976

S.R.O. 160.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, (2 of 1924), the Central Government hereby notifies the election of the following persons to the Cantonment Board, Mathura from the wards noted against each :—

1. Shri Kishore Kumar Mahajan	Ward No. I
2. Shri Shambhu Nath Gupta	Ward No. II
3. Shri Bankey Lal Gupta	Ward No. III
4. Shri Hardev Singh	Ward No. IV

[File No. 29/55/C/L&C/66/1544-C/D(Q&C]

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जून, 1976

का० नि० आ० 161:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना इंजीनियर सेवा (वास्तुक) भर्ती नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1 (1) इन नियमों का नाम सेना इंजीनियर सेवा वास्तुक (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सेना इंजीनियर सेवा (वास्तुक) भर्ती नियम, 1971 में, अनुसूची में,—

(i) ज्येष्ठ वास्तुक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,—
(क) स्तम्भ 5 मे की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "1500-60-1800-100-2000 रु०" रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ 12 में "प्रोन्नति" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
"प्रोन्नति

वास्तुक, जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् सात वर्ष सेवा की हो और जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वास्तुक कला में उपाधि या डिप्लोमा या समतुल्य हो।"

(ii) वास्तुक के पद से संबंधित क्रम सं० 3 के सामने, स्तम्भ 5 में की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "1100 (छठा वर्ष या उससे कम) -50-1600" रु० रखी जाएगी;

(iii) उप वास्तुक के पद से संबंधित क्रम स० 4 के सामने स्तम्भ-5 मे की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "700-40-900-द०रो०-1100 50-1300 रु०" रखी जाएगी;

(iv) सहायक वास्तुक के पद से संबंधित क्रम स० 5 के सामने, स्तम्भ 5 मे की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०" रखी जाएगी।

(v) अनुसूची के अन्त मे निम्नलिखित टिप्पण जोड़े जाएगे

टिप्पण-1—वास्तुक के पद के सामने स्तम्भ 3 में,—

प्रयुक्त अभिव्यक्ति "(छठा वर्ष या उससे कम)" का अर्थ वही होगा-जो उसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के ज्ञापन सं० 3(4)75/डी (सिविल-1), तारीख 1 अगस्त, 1975 मे दिया गया है।

टिप्पण-2—अनुभव संबंधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियो के मामले मे संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार उस दशा में शिथिल की जा सकेंगी यदि चयन के किसी चरण पर आयोग की यह राय हो कि उन प्रवर्गों से ऐसे अभ्यर्थियो की पर्याप्त संख्या, जिनके पास अपेक्षित अनुभव हो, उनके लिए आरक्षित रिक्तियो को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नही है।

[फा० सं० 34957/वास्तुक/ई आई बी/डी (नियुक्तिया)]

एच० ए० एम० एल० वाज, अवर सचिव

New Delhi, the 8th June, 1976

S.R.O. 161.—*In exercise of the powers conferred by the* proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Military Engineer Service (Architects) Recruitment Rules 1971, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Military Engineer Service (Architects) Amendment Rules, 1976

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Military Engineer Service (Architects) Recruitment Rules, 1971, in the Schedule,—

(i) against Sr. No. 2 relating to the post of Senior Architect,—

(a) for the entry in column 5, the entry "Rs. 1500—60—1800—100—2000" shall be substituted ;

(b) for the heading "promotion" and the entry relating thereto in column 12, the following shall be substituted, namely,—

"Promotion

Architect with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing degree or diploma in Architecture of a recognised University or Institution or equivalent." ;

(ii) against Sr. No. 3 relating to the post of Architect, for the entry in column 5, the entry "Rs. 1100—(6th year or under—50—1600" shall be substituted ;

(iii) against Sr. No. 4 relating to the post of Deputy Architect, for the entry in column 5, the entry "Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300" shall be substituted ;

(iv) against Sr. No. 5 relating to the post of Assistant Architect, for the entry in column 5, the entry "Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200" shall be substituted.

(v) at the end of the Schedule following notes shall be added—

Note—1—The expression "(6th year or under)" used in column 3 against the post of Architect shall have the meaning assigned to it in the Memorandum of the Government of India, in the Ministry of Defence No. 3(4)75/D(Civ-1) dated the 1st August, 1975.

Note—2—The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Commission is of opinion that sufficient number of candidates from these categories possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

[File No. 34957/ARCH/EIB/Q/D(Appts.)]

H. A. M. L. VAZ, Under Secy

New Delhi, the 9th July, 1976

S.R.O. 162.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Reserve Forces Act (4 of 1888), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Reserve Forces Rules, 1925, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Reserve Force (Amnedment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In rule 3-A of the Indian Reserve Forces Rules, 1925, clauses (d) and (e) shall be re-lettered as clauses (e) and (f) respectively and before clause (e) as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely :—

"(d) Non Commissioned Officers who have been or may be transferred to the reserve either with their own consent or in pursuance of the conditions of their service"

[File No. A/44742/Org. 2(MP)(c)]

RAM MOHAN WAHEE, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.